[2008] 13 एस.सी.आर. 309

पुलिस निरीक्षक, तमिलनाडु

बनाम

मुथुसामी एवं एक अन्य

(2002 की आपराधिक अपील सं. 655)

10 सितंबर, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत तथा हरजीत सिंह बेदी, न्यायमूर्तिगण]

दाण्डिक विचारण —विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि — उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त — इस आधार पर कि न्यायेतर स्वीकृतियाँ विश्वसनीय नहीं थीं; कि साक्षियों ने अन्वेषण के दौरान दिए गए अपने कथनों से मुकर गए थे; तथा कि थाना से दंडाधिकारी को प्रतिवेदन प्राप्त होने की तिथि में हेरफेर किया गया था —अभिनिर्धारित : इन विसंगतियों को दृष्टिगत रखते हुए उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है — भारतीय दण्ड संहिता, 1860 — धारा 302 सहपठित धारा 34

अभियोजन के अनुसार मृतक का गला घोंटा गया था तथा उसे जहर भी दिया गया था। अभियुक्त-उत्तरदाता मृतक के क्रमशः पिता तथा भाई थे। चूँकि न्यायवैज्ञानिक विज्ञान प्रयोगशाला की प्रतिवेदन में यह कहा गया था कि मृतक के आंतरिक अंगों में कोई जहर नहीं पाया गया, इसलिए अभियोजन ने बाद में यह अभिकथन त्याग दिया कि मृतक को जहर दिया गया था। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-उत्तरदाताओं द्वारा कथित रूप से की गई न्यायेतर स्वीकृतियों पर भरोसा किया और तदनुसार उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अधीन दोषसिद्ध किया। अपील में उच्च न्यायालय ने उनके दोषमुक्ति का निर्देश दिया। इसलिए वर्तमान अपील।

अपील खारिज करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित : उच्च न्यायालय ने न्यायेतर स्वीकृतियों का उल्लेख किया तथा यह पाया कि वे विश्वसनीय नहीं हैं। साक्षियों ने कथित न्यायेतर स्वीकृतियों के संबंध में भिन्न-भिन्न संस्करण प्रस्तुत किए। इसके अतिरिक्त, जिन व्यक्तियों ने घटना को देखने का दावा किया था, वे अन्वेषण के दौरान दिए गए अपने कथनों से मुकर गए और अभियुक्त व्यक्तियों को अपराध से जोड़ने हेतु वस्तुतः कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। अन्य कारकों के अतिरिक्त, एक और महत्वपूर्ण कारक, जिस पर उच्च न्यायालय ने ध्यान दिया, यह था कि यह प्रदर्शित करने के लिए हेरफेर किया गया था मानो दंडाधिकारी को थाना से प्रतिवेदन 3.1.1990 को प्राप्त हुआ हो। वास्तव में, प्रदर्श पी-1 तथा प्रदर्श पी-9 पर कीरनूर न्यायालय की मुहर पर अंकित तिथि यह दर्शाती है कि तिथि 5.1.1990 थी। इन विसंगतियों को दृष्टिगत रखते हुए, उच्च न्यायालय का निर्णय ऐसी किसी त्रुटि से ग्रस्त नहीं है जो किसी हस्तक्षेप की अपेक्षा करती हो। [कंडिका 3] [311-सी-ई]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2002 की आपराधिक अपील सं. 655

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील सं. 738/1992 में दिनांक 30.3.2001 को पारित निर्णय/आदेश के विरुद्ध।

शन्मुगसुन्दरम, एस. धनंजयन तथा वी.जी. प्रगासम, अपीलकर्ता की ओर से।

वी. रामासुब्रमणियन, उत्तरदाताओं की ओर से।

न्यायालय का निर्णय

डॉ. अरिजीत पसायत, न्यायमूर्ति द्वारा सुनाया गया।

1. यह अपील मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है। अभियुक्त व्यक्ति मृतक के क्रमशः पिता तथा भाई हैं। घटना कथित रूप से 3.1.1990 को हुई थी। यद्यपि अभियोजन ने अनेक व्यक्तियों के साक्ष्य पर भरोसा किया, जिन्होंने कथित रूप से घटना को देखा था, तथापि न्यायालय में साक्ष्य देते

समय उनमें से अधिकांश अपने अन्वेषणकालीन कथनों से मुकर गए। अभियोजन का संस्करण यह था कि मृतक का गला घोंटा गया था तथा उसे जहर भी दिया गया था। परंतु न्यायवैज्ञानिक विज्ञान प्रयोगशाला की प्रतिवेदन में कहा गया कि आंतरिक अंगों में कोई जहर नहीं पाया गया। अतः अभियोजन ने यह अभिकथन त्याग दिया कि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा मृतक को जहर दिया गया था। कुछ कथित न्यायेतर स्वीकृतियाँ थीं, जिन पर विचारण न्यायालय ने भरोसा किया। तदनुसार अभियुक्त व्यक्तियों को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (संक्षेप में "भा.दं.सं.") की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया। अपील में उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा उनकी दोषमुक्ति का निर्देश दिया।

2. अपीलकर्ता-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दोषमुक्ति का निर्देश देने हेतु उच्च न्यायालय द्वारा किया गया विश्लेषण बनाए नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उच्च न्यायालय ने अनेक प्रासंगिक कारकों की उपेक्षा की है।

3. हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने न्यायेतर स्वीकृतियों का उल्लेख किया है तथा यह निष्कर्ष निकाला है कि वे विश्वसनीय नहीं हैं। साक्षियों ने कथित न्यायेतर स्वीकृतियों के संबंध में भिन्न-भिन्न विवरण प्रस्तुत किए। इसके अतिरिक्त, जिन व्यक्तियों ने घटना को देखने का दावा किया था, वे अन्वेषण के दौरान दिए गए अपने कथनों से मुकर गए और अभियुक्त व्यक्तियों को अपराध से जोड़ने हेतु वस्तुतः कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। अन्य कारकों के अतिरिक्त, एक और महत्वपूर्ण कारक, जिस पर उच्च न्यायालय ने ध्यान दिया, यह था कि यह प्रदर्शित करने के लिए हेरफेर किया गया था मानो दंडाधिकारी को थाना से प्रतिवेदन 3.1.1990 को प्राप्त हुआ हो। वास्तव में, प्रदर्श पी-1 तथा प्रदर्श पी-9 पर कीरनूर न्यायालय की मुहर से यह प्रदर्शित होता है कि तिथि 5.1.1990 थी। इन विसंगतियों को दृष्टिगत रखते हुए, हमारा मत है कि उच्च न्यायालय का निर्णय ऐसी किसी त्रुटि से ग्रस्त नहीं है जो किसी हस्तक्षेप की अपेक्षा करती हो।

4. अपील असफल होती है और तदनुसार खारिज की जाती है।

बी.बी.बी. अपील खारिज की गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।